इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 10 अंक : 4 नवम्बर, 2017 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ --2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ---4
विनियामकों के कथन---5
नयी नियुक्तियाँ -- 6
विदेशी मुद्रा ---6
शब्दावली ---7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी --7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---8
संस्थान समाचार --8
नयी पहलकदमी ---13
बाजार की खबरें ---14

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2017-18

भारतीय रिजर्व बैंक ने चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा 4 अक्तूबर, 2017 को की। उक्त मौद्रिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

- सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) 14 अक्तूबर, 2017 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंक घटाकर बैंकों की निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 20.0% के स्थान पर 19.50% कर दिया गया।
- किसी भी बैंक से 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक का समग्र निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर रखने वाले कारपोरेट उधारकर्ताओं को विधिक कंपनी/संस्था अभिनिर्धारक (LEI) पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए तथा
  बैंकों द्वारा उसे बड़े ऋणों से संबन्धित सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी (CRILC)
  में प्रगृहीत (capture) किया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- समकक्षी ऋणदाताओं के लिए पात्रता मानदंड और विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- समकक्षी (peer-to-peer) ऋणदाताओं के लिए पात्रता मानदंड और विवेकसम्मत मानदंड के समावेश वाले दिशानिर्देश जारी कर दिया है। तदनुसार, कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-समकक्षी

भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) प्राप्त किए बिना समकक्षी उधार मंच का व्यवसाय नहीं प्रारम्भ करेगा अथवा जारी रखेगा। मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-समकक्षियों को आगामी तीन माह के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-समकक्षी बनने की पात्र होने के लिए किसी कंपनी के पास कम से कम 2 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि का होना आवश्यक है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-समकक्षी अपनी पहल पर जमाराशियाँ जुटाने या उधार देने की पात्र नहीं होगी। वे उधारकर्ताओं को कोई ऋणवृद्धि अथवा ऋण-गारंटी नहीं प्रदान कर सकतीं या दिला सकतीं। इसप्रकार के मंचों से जुडे प्रतिभूत उधार देने का कार्य भी निषिद्ध है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-समकक्षी को उक्त मंच से उद्भूत ऋणों की वसूली हेतु सेवाएँ प्रदान करनी होंगी। समकक्षी ऋणदाताओं को 2 से अनधिक का उत्तोलन अनुपात बनाए रखना होगा। सभी समकक्षियों के मामले में किसी एकल ऋणदाता का समस्त उधारकर्ताओं के प्रति समग्र एक्सपोजर किसी भी समय 10 लाख रुपए तक सीमित होगा। सभी समकक्षियों के मामले में उसी उधारकर्ता के प्रति किसी एकल ऋणदाता का एक्सपोजर 50,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ऋणों की परिपक्वता 36 माह तक सीमित होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष स्वर्ण बांडों की तीसरी शृंखला की शुरुआत की

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष स्वर्ण बाँड़ों की अपनी तीसरी शृंखला की शुरुआत 2,956 रुपए प्रति ग्राम पर कर दी है। आनलाइन आवेदकों को डिजिटल रूप में भुगतान करने पर 9 अक्तूबर से आरंभ होकर 27 दिसंबर तक प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से
बुधवार के बीच प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट प्राप्त होगी। 2.5% के ब्याज वाहक ये बांड, जिन्हें निवासी भारतीयों- व्यक्तियों, न्यासों, धर्मादा संस्थाओं एवं विश्वविद्‌यालयों को बेचा जाएगा- विभिन्न श्रेणियों के क्रेताओं के लिए सीमित होंगे। व्यक्तिगण किसी अन्य व्यक्ति अथवा नाबालिग के साथ संयुक्त रूप से वार्षिक आधार पर 4 किलोग्राम तक सोना खरीद सकते हैं, जबकि न्यासों और धर्मादा संस्थाओं के लिए उच्चतम सीमा 20
किलोग्राम है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्‌वारा संपार्श्विक के रूप में धारिताओं को इस उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त है।

बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहते हुए विशिष्ट पहचान संख्या आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है कि इन नियमों में सांविधिक शक्ति निहित है तथा बैंकों को उन्हें और अधिक अनुदेशों की प्रतीक्षा किए बिना कार्यान्वित करना होगा। मौजूदा बैंक खाता धारकों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या 31 दिसंबर, 2017 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ऐसा न किए जाने पर खाता परिचालनीय नहीं रह जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक ऋण पंजीकरण हेतु कार्य बल का गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने कारोबार करने की सहूलियत बढ़ाने में सहायता करने और अपचारों को नियंत्रित करने के लिए भारत के लिए एक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री के संबंध में एक उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन किया है। एल॰ एंड टी॰ फाइनैन्स होल्डिंग्स के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वाई॰ एम॰ देवस्थले की अध्यक्षता वाला 10 सदस्यीय पैनल भारत में ऋण से संबन्धित सूचना की वर्तमान उपलब्धता की समीक्षा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक सभी हितधारकों के लिए अभिगम्य ऋण सूचना के व्यापक डाटाबेस के साथ एक पारदर्शी एवं व्यापक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री के गठन पर काफी लंबे समय से विचार करता रहा है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने एम-वेलेटों और बैंक खातों के बीच अंतर-परिचालनीयता को सुगम बनाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल वैलेटों और बैंक खातों के बीच अंतर-परिचालनीयता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह अंतर-परिचालनीयता पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों (PPIs) के लिए चरणों में लाई जाएगी। पहले चरण में पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों के जारीकर्ता – बैंक और बैंकेतर संस्थाएं दोनों वैलेटों के रूप में जारी अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंड अनुपालक सभी पूर्व-प्रदत्त लिखतों को एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) के माध्यम से आगामी छ: माह के भीतर अपने आप में

अंतर-परिचालनीय बनाएँगे। मुक्त प्रणाली वाले पूर्व-प्रदत्त लिखत जारी करने का अधिकार पूर्ववत अनन्य रूप से बैंकों में ही निहित रहेगा। बैंकेतर संस्थाएं केवल ऐसी सीमित अवधि वाले (semi-closed) पूर्व-प्रदत्त लिखत ही जारी कर सकेंगी जिनमें निधियों के आहरण की अनुमति नहीं होती।

विनियामकों के कथन

उच्चतर प्रावधानीकरण से बैंकों के तुलनपत्रों में आघात-सहनीयता आएगी

उच्चतर प्रावधानीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एन॰ एस॰ विश्वनाथन ने कहा है कि दिवाला विनियमन के मामले में वर्णित अनर्जक आस्ति (NPA) खातों के लिए आवश्यक प्रावधानीकरण बैंकों के तुलनपत्र को अधिक आघात-सह बनाएँगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निदेश दिया है कि वे उन सभी अनर्जक खातों, जिन्हें उन्होंने दिवाला और दिवालियापन संहिता के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को संदर्भित किया है, के लिए ऋण रकम का 50% संभावित हानियों के लिए अलग कर रखें। इसप्रकार के मामलों में जिनका दिवालियापन कार्यवाहियों में समाधान नहीं हो पाता तथा जो परिसमापन में चले जाते हैं, प्रावधानीकरण 100% होना चाहिए।

बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना एक स्मारकीय कदम है

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा॰ ऊर्जित पटेल ने बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना को भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आगे की दिशा में एक स्मारकीय कदम बताया है। पुनर्पूंजीकरण योजना के अनुसार वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने यह घोषणा की थी कि अगले दो वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, जिसमें से 1.35 लाख करोड़ रुपए पुनर्पूंजीकरण बाँड़ों के जरिये होंगे। शेष 76,000 करोड़ रुपए बजटीय सहायता तथा बाजार से संग्रहण के जरिये होंगे।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री रजनीश कुमार	**भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त**
श्री मातम वेंकट राव	**केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त**
डा. राजेश यदुवंशी	**देना बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त**
श्री जयंत रिख्ये	**एच.एस.बी.सी. बैंक के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के रणनीति प्रमुख के रूप में नियुक्त**

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	29 अक्तूबर, 2017 के दिन बिलियन रुपए	29 अक्तूबर, 2017 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	26,021.2	3,99,921.0
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	24,382.5	3,74,908.0
(ख) सोना	1,388.2	21,240.5
(ग) विशेष आहरण अधिकार	97.6	1,499.6
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	147.9	2,272.9

नवंबर, 2017 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.62600	1.79900	1.91220	1.89900	2.08500
जीबीपी	0.63940	0.8509	0.9498	1.0310	1.1048
यूरो	-0.25000	-0.189	-0.069	0.063	0.209
जापानी येन	0.02750	0.050	0.065	0.090	0.116
कनाडाई डालर	1.79000	1.794	1.899	1.977	2.037
आस्ट्रेलियाई डालर	1.80000	1.950	2.078	2.363	2.440
स्विस फ्रैंक	-0.60750	-0.543	-0.413	-0.324	-0.214
डैनिश क्रोन	-0.12780	0.0470	0.0805	0.2304	0.3870
न्यूजीलैंड डालर	2.02160	2.160	2.323	2.484	2.635

स्वीडिश क्रोन	-0.42500	-0.230	-0.023	0.180	0.380
सिंगापुर डालर	1. 27500	1.470	1.640	1.780	1.910
हांगकांग डालर	1.28000	1.550	1.740	1.860	1.960
म्यामार	3.53000	3.610	3.650	3.730	3.780

शब्दावली

सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (PCR)

ऋण रजिस्ट्रियाँ सामान्यतया वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षक के रूप में सरकार की भूमिका को समर्थन प्रदान करने हेतु विकसित की जाती हैं। जहां ऋण रजिस्ट्रियाँ अस्तित्व में होती हैं, वहाँ कानूनी तौर पर एक निश्चित रकम से अधिक के ऋण राष्ट्रीय ऋण रजिस्ट्री में आवश्यक रूप से पंजीकृत कराये जाने चाहिए। ऋण रजिस्ट्रियाँ विनियमित वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर निगरानी रखती हैं। ऋण ब्यूरो के साथ तुलना किए जाने पर एक मुख्य अंतर यह पाया जाता है कि ऋण रजिस्ट्रियाँ सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं तथा वे आम तौर पर केंद्रीय बैंकों अथवा बैंक पर्यवेक्षण एजेंसियों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (PSLCs)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र कमी पड़ने की स्थिति में इन लिखतों की खरीद द्वारा बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य एवं उप-लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने और अधिशेष वाले बैंकों को प्रोत्साहित करने की एक व्यवस्था होते हैं क्योंकि इससे उन्हें अपनी लक्ष्य से अधिक उपलब्धियों को बेचने जिसके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन श्रेणियों को उधार बढ़ाने की सहूलियत प्राप्त होती है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र व्यवस्था के अधीन विक्रेता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्व को बेच देता है और क्रेता उक्त दायित्व को जोखिम या ऋण आस्ति के किसी अंतरण के बिना खरीद लेता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवंबर/दिसंबर, 2017 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थान
1	प्रमाणित ऋण अधिकारियों के लिए परिक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	15 से 19 नवंबर तक	मुंबई
2	बैंक कार्यपालक कार्यक्रम	20 से 24 नवंबर तक	मुंबई
3	वसूली प्रबंधन	4 से 6 दिसम्बर तक	मुंबई
4	सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए खजाना प्रबंधन	11 से 13 दिसंबर तक	मुंबई
5	पहली बार शाखा प्रबन्धक	13 से 18 नवंबर तक	चेन्नै
6	ऋण निगरानी पर कार्यक्रम	22 से 24 नवंबर तक	चेन्नै
7	लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन	11 से 15 दिसम्बर तक	चेन्नै
8	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	4 से 8 दिसम्बर तक	कोलकाता
9	तुलनपत्र पठन और अनुपात विश्लेषण	13 से 14 नवंबर तक	दिल्ली
10	अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/वित्तीय आतंकवाद का मुक़ाबला	4 से 6 दिसम्बर तक	दिल्ली

संस्थान समाचार

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

1。 खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन।

2。 जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम।

3。लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।
4. ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। उक्त दल द्वारा अपनी रिपोर्ट मार्च, 2017 में प्रस्तुत की गई, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया गया तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के आधार पर भारतीय बैंक संघ ने दिनांक 26 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र द्वारा सदस्य बैंकों को केंद्रीय बैंक द्वारा ऊपर वर्णित क्षेत्रों में प्रमाणन प्रदान करने की पात्र संस्थाओं के नाम सूचित किए थे।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

आपके तात्कालिक अवलोकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किए गए तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रमाणन के लिए बैंकों को सूचित किए गए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम इसके नीचे सारणीबद्ध किए जा रहे हैं :

क्रम संख्या	वह क्षेत्र जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणन अभिज्ञात किया गया है	भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रमाणन प्रदान करने हेतु अभिज्ञात इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला पाठ्यक्रम।

1	खजाना परिचालन – व्यापारी, मिड आफिस परिचालन	प्रमाणित खजाना व्यापारी (परीक्षा एवं प्रशिक्षण से संबन्धित मिश्रित पाठ्यक्रम।
2	जोखिम प्रबंधन – ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी जोखिम, चलनिधि जोखिम	वित्तीय सेवाओं में जोखिम – चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फार सिक्योरिटीज एंड इनवेस्टमेंट (ICISI)
3	ऋण प्रबंधन- ऋण मूल्यांकन, श्रेणी -निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन	प्रमाणित ऋण अधिकारी- आन लाइन परीक्षा और प्रशिक्षण से संबन्धित मिश्रित पाठ्यक्रम।
4	लेखांकन –वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स शीघ्र ही एक पाठ्यक्रम आरंभ करेगा।
5	विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) के सहयोग से उपलब्ध कराया जाता है।

संस्थान द्वारा उपर्युक्त विषयों के लिए परीक्षा सामान्यतया छः माह में एक बार आनलाइन मोड के जरिये देशभर में स्थित 130 से अधिक केन्द्रों में आयोजित की जाती है। हालांकि, बैंकों एवं अभ्यर्थियों के लाभार्थ प्रमाणित ऋण अधिकारी के संबंध में एक अतिरिक्त परीक्षा अक्तूबर 2017 से मार्च, 2017 तक मासिक आधार पर आयोजित की जाने वाली है। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

बैंकिंग चाणक्य प्रश्नमंच

बैंकिंग चाणक्य भारत में कहीं भी स्थित वर्तमान में किसी भी बैंक में नियोजित सभी कर्मचारियों के लिए खुली एक प्रश्नमंच प्रतियोगिता है। विवरण के लिए http: // www. Bankingchanakya.com/. पर लागआन करें। पंजीकरण खिड़की 1 अक्तूबर से 7 नवंबर, 2017 तक खुली रखी गई। यह प्रतियोगिता तीन भागों में विभक्त है :

क॰ पहला प्रारम्भिक दौर है अंचल-वार आनलाइन प्रतियोगिता। प्रारम्भिक दौर में टीमें अपने कार्यालय/ घर की सहूलियत से सहभागिता कर सकती हैं।

ख॰ दूसरा भाग बुनियादी आयोजन है जिसमें अंचल स्तर के आयोजन शामिल हैं। चार भिन्न-भिन्न अंचलों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम) में चार बुनियादी आयोजन।

ग॰ तीसरा भाग प्रत्येक अंचल की विजेता टीमों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम दौर (National Finale) वाला आयोजन है जिसे राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने मेँ समर्थ होंगे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों के लिए प्रमाणित ऋण परामर्शी (CCC) कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 11 जुलाई, 2017 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ एक भागीदारी करार किया। प्रमाणित ऋण परामर्शी बनने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा संचालित सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों पर एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने पर तथा उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित समुचित सावधानी जांच पूरी कर लेने के बाद अभ्यर्थी को प्रमाणित ऋण परामर्शी के रूप मेँ एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नयी पाठ्यसमग्री

संस्थान ने 29 अप्रैल, 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी नयी पाठ्यसामग्री की शुरुआत की। उक्त पुस्तक बैंकिंग भ्रातृसंध के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई। इस विषय पर पहली परीक्षा जनवरी, 2018 मेँ आयोजित की जाएगी।

सूक्ष्म/स्थूल/हीरक जयंती 2017 के लिए प्रस्तावों हेतु आमंत्रण

संस्थान हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) 2017-18 के लिए सूक्ष्म आलेख, स्थूल आलेख और आवेदन आमंत्रित करता है। सूक्ष्म/स्थूल आलेखों और हीरक जयंती सी॰ एच॰ भाभा ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2017 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

वर्तमान में संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता है। जून से लेकर अगस्त तक आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं के लिए अनलाइन पंजीकरण 8 मई, 2017 से आरंभ हो रहा है। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के अक्तूबर - दिसंबर, 2017 के आगामी अंक के लिए निर्धारित विषय-वस्तु है :

सूक्ष्म अनुसंधान आलेख- 2017

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से निराकरण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1.	प्रकाशन स्थल	: मुंबई
2.	प्रकाशन की आवधिकता	: मासिक
3.	प्रकाशक का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4.	संपाद्क का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम : आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005

6. स्वामियों के नाम एवं पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31.03.2017 डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6928/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.2
6.
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8

मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, अक्तूबर, 2017

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

90

85

80
75
70
65
60
55
50
मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

8
7
6
5
4
3
2
0
अप्रैल, 2017, मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2017

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, **सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017**

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
अप्रैल, 2017, मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2017

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.